भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Developement Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

सं.सीप्ज़-सेज़/श्रम/505/2015-16/पार्ट-II/ 62474 दिनांक:26-02-2026

परिपत्र सं: श्रम/ 09 /2026

विकास आयुक्त, सेज़ को मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार व्दारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सेज़ों में स्थित यूनिटों के संबंध में उन प लागू किए जाने तथा उनका उल्लंघन होने पर आवश्यक कारवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 16.10.2020 के कार्यालय आदेश संख्या 199/2020 द्वारा उप विकास को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। आज की तारीख में सीप्ज़ (इलेट्रोनिक्स) तथा जेम तथा ज्वेलरी सेक्टरों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों / कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है: (दिनांक 01/01/2026 से दिनांक 30/06/2026 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता).

1.जेम तथा ज्वेलरी यूनिट्स(अवशिष्ट उद्योग):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु.12605	रु.11445	रु.10350
विशेष भत्ता	रु. 3375	रु. 3375	रु. 3375
कुल	रु.15980	रु. 14820	रु.13725
मकान किराया भत्ता **(5%)**	रु. 799	रु. 741	रु. 686
न्यूनतम मजदूरी	रु.16779	रु. 15021	रु.14411

2.दुकाने तथा प्रतिष्टान:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु.11632	रु.10856	रु.10021
विशेष भत्ता	रु. 3900	रु. 3900	रु. 3900
कुल	रु.15532	रु.14756	रु.13921
मकान किराया भत्ता **(5%)**	रु. 777	रु. 738	रु. 696
न्यूनतम मजदूरी	रु.16309	रु.15494	रु.14617

3.सीप्ज़(इलेट्रोनिक्स):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 6300	रु. 5800	रु. 5300
विशेष भत्ता	रु. 6997	रु. 6997	रु. 6997
कुल	रु. 13297	रु.12797	रु.12297
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 665	रु. 640	रु. 615
न्यूनतम मजदूरी	रु. 13962	रु.13437	रु.12912

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष- 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।

यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। जोन प्रसाशन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्टरों की फोटो क़ापीया मंगवाकर रिकार्डो तथा रजिस्टरों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

Digitally signed by
Rahul V Shivannagol
Date: 26-02-2026
14:16:22

(राहुल शिवण्णगोल)

सहायक विकास आयुक्त, श्रम अनुभाग

सीप्ज़-सेज़

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Developement Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

F.NO. SEEPZ SEZ/LAB/505/2015 -16/Part II/ 62474 Dated:26-02-2026

CIRCULAR NO:LAB/ 09 /2026

In accordance with the powers delegated to the Development Commissioner of SEZ by the Govt. of Maharashtra, under the Minimum Wages Act, 1948 the jurisdiction in respect of units in SEZs for implementation as well as for taking necessary action for violation, if any, are with this office. Further this power has been delegated to Deputy Development Commissioner by Development Commissioner vide Office Order No. 199/2020 dated 16.10.2020. As on date, the minimum wages applicable to the un-skilled, semi-skilled and skilled workers/employees in the SEEPZ (Electronics) and Gems and Jewellery Sectors are mentioned below:- (Special Allowance revised for the period of 01.01.2026 to 30.06.2026)

1. Gem & Jewellery Units (Residuary Employment):-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wage	Rs. 12605	Rs. 11445	Rs. 10350
Special Allowance	Rs. 3375	Rs. 3375	Rs. 3375
Total	Rs. 15980	Rs. 14820	Rs. 13725
HRA (5%)	Rs. 799	Rs. 741	Rs. 686
Minimum Wages	Rs. 16779	Rs. 15021	Rs. 14411

2. Bombay Shops and Establishment:-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 11632	Rs. 10856	Rs. 10021
Special Allowance	Rs. 3900	Rs. 3900	Rs. 3900
Total	Rs. 15532	Rs. 14756	Rs. 13921
HRA (5%)	Rs. 777	Rs. 738	Rs. 696
Minimum Wages	Rs. 16309	Rs. 15494	Rs. 14617

3. SEEPZ (Electronics) :-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 6300	Rs. 5800	Rs. 5300
Special Allowance	Rs. 6997	Rs. 6997	Rs. 6997
Total	Rs. 13297	Rs. 12797	Rs. 12297
HRA (5%)	Rs. 665	Rs. 640	Rs. 615
Minimum Wages	Rs. 13962	Rs. 13437	Rs. 12912

The Special Allowance is revised twice in a year i.e. with effect from 1st January and 1st July by the appropriate authority in the Labour Department of the Govt. of Maharashtra.

The units are directed to ensure that no employee is deprived of the minimum wages at any point of time. The Zone Administration will be regularly verifying the records and registers to ensure payment of minimum wages by employers, by obtaining photo copies of payment register for specified period.

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully

Digitally signed by
Rahul V Shivannagol
Date: 26-02-2026
14:15:07

(Rahul V. Shivannagol)

Assistant Development Commissioner,

SEEPZ-SEZ.